



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. अका./परि.अध्या.विनि./2021/929

रायगढ़, दिनांक 15.09.2021

--:: अधिसूचना ::--

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ नवस्थापित विश्वविद्यालय की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के विभाजन के फलस्वरूप हुई है, जिसमें रायगढ़ एवं जाँजगीर-चाँपा के राजस्व जिलो की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित समस्त महाविद्यालय जो पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध थे अब इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो चुके हैं।

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, क्रमांक 52, रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-03 के अनुसार -

“समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम, जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने के पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रवृत्त हो, वे शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे”

अतः तदनुसार अधिसूचित किया जाता है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

पृ.क्र. अका./परि.अध्या.विनि./2021/930

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ।
02. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव
रायगढ़, दिनांक 15.09.2021

प्रभारी अधिकारी (अकादमी)